



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

प्र०क्र. III/नगरानी/अशोकनगर/भू-रा/2017/4009

नांक 26-10-17 का
अईए सिंह प्रधान
को द्वारा प्रस्तुत।

10/17
0
नरेन्द्र सिंह प्रधान

7 दिनांक
11-17

06-11-17

- (1) महाराज सिंह लच्छी राम कोरी
- (2) रोशन लाल पुत्र लच्छी कोरी

~~विषय~~

निवासी ग्राम विसौर तहसील नई सराय
जिला अशोक नगर

.....निगरानीकर्ता जन

बनाम

- (1) बाबूलाल पुत्र किशन लाल जाति कोरी
- (2) हरनारायण पुत्र किशनलाल जाति कोरी
- (3) पूरनचंद्र पुत्र किशन लाल जाति कोरी

निवासी:- ग्राम विसौर तहसील नई सराय
जिला अशोक नगर हाल मकाम फिजीकल
रोड पुलिस चौकी के पास मूर्ती कला केंद्र
शिवपुरी म०प्र०

.....प्रतिनिगरानीकर्ता जन

निगरानी

निगरानी अधिन धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानी विरुद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय के श्रीमान अनुविभागीय
अधिकारी महोदय ईसागढ उनके प्रकरण क्रमांक.22 अपील 16-17 आदेश

दिनांक 11.10.2017 के विरुद्ध ।

[Handwritten signature]


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

6

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक III / निग / अशोकनगर / भू.रा. / 2017 / 4009

स्थान तथा दिनांक	महाराज सिंह कार्यवाही तथा आदेश बाबूलाल	पक्षकारों एवं अभिभाषक अदि के हस्ताक्षर
02-02-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन, अभि.उप. । अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री अजय सिंह रघुवंशी उपस्थित ।</p> <p>2- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा सुनवाई के दौरान वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी में अंकित किए गये हैं जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया गया । प्रकरण में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ईशागढ जिला अशोकनगर के द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 17.11.2017 की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी ईशागढ के प्रकरण क्रमांक 22/अपील/16-17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.10.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है इस प्रश्नाधीन आदेश से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है जहां प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश दिनांक 17.11.17 को पारित कर अपील का अंतिम निराकरण कर दिया गया है ऐसी स्थिति में अब इस निगरानी का कोई महत्व नहीं रह गया है। निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा भी इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गयी साथ ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी अंतिम आदेश</p>	





3
महाराजसिंह/बाबूलाल

प्रकरण क्रमांक III/निग/अशोकनगर/भू.रा./2017/4009

दिनांक 17.11.17 से सहमति व्यक्त की गयी।

प्रकरण में वर्तमान में उपरोक्त उपस्थित तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि अनुविभागीय अधिकारी ईशागढ द्वारा उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है ऐसी स्थिति में अब इस निगरानी प्रकरण को इस न्यायालय में प्रचलित रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।


सदस्य

राजस्व मण्डल ग्वालियर

